कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची– 2

पत्रांक– **दिनांक–**

प्रेषक,

जे०बी० जौहर, भा0व0से0,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''**लाह विकास योजना**'' **(विषेष अंगीभूत योजना)** के अन्तर्गत **20.101 लाख (बीस लाख, दस हजार, एक सौ,) रू0** की योजना की प्रषासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2008–09 में किये जाने वाले कार्य हेतु कुल **11.464 लाख (ग्यरह लाख, छियालीस हजार, चार सौ)रू०** की योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

सूचित करना है कि लाह विकास योजना (विषेष अंगभूत योजना) के अंतर्गत विषयाधीन योजनान्तर्गतः–

1. वित्तीय वर्ष 2008–09 में **35.400** हे0 में वनरोपण (अग्रिम कार्य) किये जाने का प्रस्ताव है।

यह योजना लाह विकास योजना के लिए निर्धारित दर पर की जायेगी। **कार्य दर अनुलंग्नक 2 पर द्रष्टव्य है।**
इस योजना को 4 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किये जाते हैं जिसमें पौधषाला में पौधा तैयार करना, वन रोपण क्षेत्र का घेरान कार्य, सर्वे एवं सीमांकन, झाड़ी सफाई, भू–संरक्षण एवं पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खोदना, कंटूर ट्रेंच बनाना, भू–संरक्षण के अन्य कार्य, इन्ट्री प्वाइंट एवं विविध कार्य किये जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधषाला में पौधों की सिंचाई, वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण, इन्ट्री प्वाइंट, सामग्री, सुरक्षा पर व्यय ट्रेंचों के वर्म पर बीज की रोपणी, दो कोड़नी निकोनी करना तथा विविध कार्य किये जाते हैं। तीसरे वर्ष में एक कोड़नी निकोनी, उर्वरक, गढ्ढा घेरान की मरम्मति, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना और सुरक्षा प्रदान करना आदि कार्य किये जाते हैं। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के अंतर्गत एक कोड़नी निकोनी एवं सुरक्षा किया जाता हैं। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में **35.400** हे0 में अग्रिम कार्य किया जायेगा। **चार वर्षों की पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा स्थल विवरणी अनुलंग्नक 1 क एवं ख पर द्रष्टव्य है।**

2. **वित्तीय वर्ष 2008–09 में विषयाधीन योजनान्तर्गत महत्वपूर्ण लाह उत्पादक जिलों में बीहन लाह (रंगीनी) का मुफ्त वितरण कार्य का प्रस्ताव है इससे संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत है :–**

योजना का उद्येश्य : राज्य में लाह उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीणों को बीहन लाह उपलब्ध कराना इस योजना का मूल उद्येश्य है । ज्ञातव्य है कि विगत कुछ वर्षों से अनुकूल मौसम नहीं होने अथवा बाजार से संबद्ध अन्य कारकों के आलोक में

ग्रामीणों को समय पर बीहन लाह उपलब्ध नहीं हो पाता है । फलस्वरूप राज्य में लाह का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है । साथ ही छोटे लाह–कृषक बीहन लाह की अनुपलब्द्धता अथवा काफी ऊँचे मूल्य पर बीहन लाह की कम मात्रा में उपलब्द्धता के कारण लाह की खेती कर पाने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं । उल्लेखनीय है कि लाह की खेती में सरकार के स्तर से प्रोत्साहन प्रदान करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ – साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे ।

<u>योजना की संक्षिप्त विवरणी</u> : इस योजना के तहत् महत्वपूर्ण लाह उत्पादक जिलों में बीहन लाह (रंगीनी) का मुफ्त वितरण दो तरीके से किए जाएँगे :–

(1) बीहन लाह की बिक्री / खरीद वाले हाट एवं संबंधित गाँव के सर्वेक्षण के आधार पर ।

(2) प्रगतिशील लाह कृषकों, जिनसे बीहन लाह की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, तथा अन्य लाह पोषक वृक्षों के धारक कृषक, जिन्हें लाह उत्पादन के लिए बीहन लाह उपलब्ध करने के आधार पर अग्रसर किया जा सके, के सर्वेक्षण के आधार पर।

उक्त प्रगतिशील एवं अन्य लाह कृषकों के पहचान तथा बीहन लाह की खरीद / बिक्री वाले हाटों की पहचान हेतु योजना के तहत् चयनित जिलों यथा रामगढ़ में प्रति वन परिसर दो व्यक्तियों का चयन किया जाना है । चयनित व्यक्ति कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए तथा उनका मनोनयन संबंधित ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति द्वारा होना चाहिए । साथ ही उक्त व्यक्ति को लाह की खेती की जानकारी होना अपेक्षित है तथा वह लाह की खेती करने वाले गाँव का होना चाहिए । सभी चयनित व्यक्तियों को मानदेय के तौर पर 6000 रू0 प्रति व्यक्ति एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है ।

सर्वेक्षण कार्यों के लिए चयनित व्यक्तियों को एक दिन का प्रशिक्षण / orientation डोरंण्डा वन परिसर स्थित सामुदायिक भवन में दिया जाएगा । उक्त प्रशिक्षण के उपरांत करीब एक महीने की अवधि के अंदर निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त डाटा के साथ ग्रामिणों की एक बैठक पुनः सामुदायिक भवन, डोरंडा वन परिसर में आयोजित की जाएगी । इस प्रशिक्षण हेतु आने जाने (दोनों बार) तथा अन्य व्यय प्रशिक्षु अपने मानदेय की राशि से खुद करेंगे ।
सर्वेक्षण के उपरांत चिह्नित लाह कृषकों से बीहन लाह का क्रय तथा उनके समीपवर्ती लाह कृषकों को निःशुल्क वितरण (प्रति कृषक, अधिकतम 3 कि. ग्रा.) संबंधित वनपाल द्वारा किया जाएगा । बीहन लाह के क्रय, तत्संबंधी भुगतान तथा वितरण संबंधी सूची संबंधित वन समिति के कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

बीहन लाह के क्रय / वितरण हेतु प्रमण्डलवार निर्धारित लक्ष्य का आधा भाग ग्रामीणों से उनके ग्राम में ही क्रय किया जाएगा तथा इसका वितरण समीपवर्ती लाह कृषकों के बीच किया जाएगा । शेष आधा भाग स्थानीय हाट में व्यापारियों / ग्रामिणों से क्रय किया जाएगा तथा इसका वितरण हाट में ही लाह कृषकों (प्रति कृषक, अधिकतम 3 कि. ग्रा) के बीच किया जाएगा । इस कार्य हेतु स्थानीय हाटों में क्रय एवं वितरण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । क्रय एवं वितरण संबंधी समय की जानकारी ग्रामीणों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित की जाएगी । प्रत्येक हाट पर बीहन लाह की प्राप्ति के मौसम में विभाग के द्वारा अधिकारी / कर्मचारी का ग्रुप प्रतिनियुक्ति होगा, जो लाह की खरीद, वितरण तथा राशि के भुगतान को सत्यापित करेगा । बीहन लाह की खरीद, राशि का भुगतान तथा बीहन लाह के वितरण की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी ।

(भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य रू०लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	वित्तीय लक्ष्य				अभ्युक्ति
			मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल	
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल	35.400 हे0 में अग्रिम कार्य	5.879	0.590	0.000	6.469	**अनुलग्नक 1 पर द्रष्टव्य है।**
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ वन प्रमण्डल रामगढ़	(क)प्रगतिशील तथा अन्य लाह कृषकों एवं हाटों की पहचान हेतु सर्वेक्षण कार्य (ख) प्रशिक्षण पर व्यय, (ग) प्रचार एवं प्रसार एवं हाट पर क्रय, वितरण तथा भुगतान की वीडियो रिकॉर्डिंग (घ) रंगीनी बीहन लाह का क्रय 3570 कि ग्रा.(ङ)परिवहन / वितरण / अनुश्रवण इत्यादि पर व्यय /5 रू0 प्रति कि.ग्रा.।	1.819	3.056	0.120	4.995	
		योग :–	**7.698**	**3.646**	**0.120**	**11.464**	

2) **वित्तीय वर्ष 2008–09 में मंत्रीमंडल द्वारा पारित कार्य योजना को ही प्रस्ताव में सम्मिलत किया गया है।**

3) वर्तमान में मजदूरी दर 90.00 रू० सरकार के द्वारा स्वीकृत है, तद्नुसार मजदूरी के लिए राशि की गणना 90.00 रू० प्रति मानव दिवस पर की गयी है।

4) प्रस्तावित कार्यों का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु0 1 पर उपलब्ध है।

5) वर्ष 2008–09 में इस योजना के लिए राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, समूह शीर्ष– अनुसूचित जातियों के लिए विषेष अंगिभूत उपयोजना, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष अंगिकृत उपयोजना, उप शीर्ष–06–लाह विकास योजना के तहत **रू0 95.00 लाख (पंचानबे लाख)** का बजट उपबंध निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में है ***(बजट पृ0पृ0सं0–149)*** ।

1	विस्तृत शीर्ष –01–वेतन एंव भत्ते 03 मजदूरी	–	रू0	83.206	लाख
2	विस्तृतशीर्ष–03–प्रसासनीक व्यय				
	17 मशीनरी एवं उपकरण		रू0	0.200	लाख
	23 आपुर्ति एंव समग्री		रू0	9.394	लाख
	29 व्यावसायिक सेवाएँ		रू0	2.000	लाख
	35 प्रषिक्षण व्यय		रू0	0.200	लाख
	योग :–		रू0	**95.00**	लाख

प्रस्तावित कार्यो के लिए पूर्व में समर्पित 79.**951** लाख रू० की योजना के अतिरिक्त प्रस्तावित राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी –

1	मजदूरी	–	रू0	7.698	लाख
2	आपुर्ति एंव समग्री	–	रू0	3.646	लाख
3	प्रशिक्षण व्यय	–	रू0	0.120	लाख
	योग	–	रू0	**11.464**	लाख

9. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार निम्नलिखित है :–

(रू0 लाख में)

प्रार्थमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्रार्थमिक इकाईवार	वर्त्तमान में समर्पित की जा रही योजना प्रार्थमिक इकाईवार	इस प्रकार अबतक समर्पित की गई योजना	बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार
मजदूरी	83.206	75.409	7.698	83.107	0.099
मशीन एवं उपकरण	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
आपूर्ति एवं सामग्री	9.394	4.542	3.646	8.188	1.206
व्यावसायिक सेवाएं	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000
प्रषिक्ष्ण व्यय	0.200	0.000	0.120	0.120	0.080
कुल :–	**95.00**	**79.951**	**11.464**	**91.415**	**3.585**

10) **प्रस्तावित कार्य तथा प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य के अनुरूप है।**

अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यों से संबंधित प्रषासनीक स्वीकृति एवं इस वर्ष किये जाने वाले कार्य का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

<u>अनु०यथोक्त ।</u>

आपका विश्वासी,

ह0/–
(जे०बी० जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची/मुख्य वन संरक्षक विकास (अन्य क्षेत्र) तथा उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण मूल्यांकन प्रकोष्ट, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित ।

(जे०बी० जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2